



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 25 सितम्बर, 2019
आश्विन 3, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या क०नि०-2-1397/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(57)-2019
लखनऊ, 25 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

प०आ०-304

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या क०नि०-2-590/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश (32)-2019, दिनांक 16 मई, 2019 में -
हिन्दी पाठ में,-

- (क) पृष्ठ 18 पर, पंक्ति 21 में, शब्द "FORM GST ITC-03" के स्थान पर शब्द "FORM GST DRC-03" पढ़ा जाय;
- (ख) पृष्ठ 28 पर, पंक्ति 6 में, शब्द "FORM GST ITC-03" के स्थान पर शब्द "FORM GST DRC-03" पढ़ा जाय।

अंग्रेजी पाठ में,-

- (a) at page 14, in line 16, for the word "FORM GST ITC-03" read word "FORM GST DRC-03";
and
- (b) at page 20, in line 23, for the word "FORM GST ITC-03" read word "FORM GST DRC-03".

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 327 राजपत्र-2019-(872)-599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 35 सा० वित्त, कर एवं निबन्धन-2019-(872)-3,500 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।